भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 2846
दिनांक 18 अगस्त 2025

सतत (एसएटीएटी) योजना के तहत कम स्वीकृति

2846 **श्री एस. निरंजन रेड्डीः**

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि किफायती परिवहन के लिए सतत विकल्प (एसएटीएटी) योजना के अंतर्गत प्रस्तावित 500 सीबीजी (संपीड़ित बायोगैस) संयंत्रों में से केवल 113 ही कार्यात्मक हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित संख्या पूरी न होने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या कार्यात्मक 113 सीबीजी संयंत्रों ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) सीबीजी संयंत्र मुख्य रूप से निजी उद्यमियों द्वारा स्थापित किए जाते हैं। गोबरधन पोर्टल के अनुसार 161 परियोजनाएं कमीशन की गई और 239 परियोजनाएं निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं। किफायती परिवहन के लिए दीर्घकालीन विकल्प (एसएटीएटी) के हिस्से के रूप में 113 संयंत्र कमीशन किए गए हैं और 78 संयंत्र निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं। इसके अलावा, विभिन्न निजी क्षेत्र की कंपनियों ने भी सीबीजी संयंत्र स्थापित करने की अपनी योजनाओं की घोषणा की है।

सरकार ने देश भर में सीबीजी परियोजनाओं की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। इन कदमों में तेल और गैस विपणन कंपनियों के साथ दीर्घकालिक समझौतों के माध्यम से सीबीजी के ऑफ-टेक के लिए सुनिश्चित मूल्य शामिल है। राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम की अम्ब्रेला योजना में, अन्य बातों के साथ-साथ, सभी प्रकार के सीबीजी/बायोगैस संयंत्रों को केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करती है; स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत नगरपालिका ठोस अपशिष्ट-आधारित सीबीजी परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता उपलब्ध करवाना; उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत सीबीजी संयंत्रों से उत्पादित जैव-खाद को किण्वित जैविक खाद (एफओएम) और तरल किण्वित जैविक खाद (एलएफओएम) के रूप में शामिल करना; सीबीजी परियोजनाओं से उत्पादित जैविक उर्वरक को प्रोत्साहित करने के लिए बाजार विकास सहायता प्रदान करना; सीबीजी परियोजनाओं को मामला-दर-दर आधार पर 'श्वेत श्रेणी" के

तहत शामिल करना; प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के अंतर्गत सीबीजी परियोजनाओं को शामिल करना; सीबीजी परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए विभिन्न बैंकों से ऋण उत्पाद; आदि विभिन्न उपाय किए हैं।

सरकार द्वारा अतिरिक्त पहल जैसे कि सीजीडी नेटवर्क में सीएनजी के साथ सीबीजी के समन्वित के लिए दिशानिर्देश; नगर गैस वितरण (सीजीडी) नेटवर्क में सीबीजी के इंजेक्शन के लिए पाइपलाइन अवसंरचना (डीपीआई) के विकास के लिए एक योजना; और सीजीडी नेटवर्क के सीएनजी (टी) और पीएनजी (डी) खंड में सीबीजी की चरणबद्ध अनिवार्य बिक्री भी शुरू की गई है।

(ख) सीबीजी संयंत्रों की स्थापना उद्यमियों और अन्य इच्छुक कंपनियों द्वारा परियोजनाओं के तकनीकी-वाणिज्यिक मूल्यांकन के आधार पर की जाती है। हालाँकि, सीबीजी परियोजनाओं की स्थापना में कई चुनौतियाँ बाधा डालती हैं, जिनमें भूमि व्यवस्था/आवंटन, निरंतर फीडस्टॉक आपूर्ति, प्रौद्योगिकी संबंधी समस्याएँ और एफओएम व एलएफओएम जैसे उप-उत्पादों का कम ऑफ-टेक शामिल है। इसके अतिरिक्त, स्थानीय समुदाय का विरोध भी इन संयंत्रों की प्रगति में बाधा डालता है।

(ग) सीबीजी संयंत्र प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन, किसानों की आय में वृद्धि, जैविक खाद आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण, जैविक खेती को बढ़ावा, बुनियादी ढाँचे का विकास, बेहतर अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता; और बढ़ी हुई ऊर्जा सुरक्षा के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इसके अलावा, ये संयंत्र संघरणीय प्रक्रियाओं का समर्थन करते हैं; पराली जलाने को कम करने में मदद करते हैं, उत्सर्जन को कम करने में योगदान करते हैं, मृदा स्वास्थ्य में सुधार करते हैं और चक्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान करते हैं।

*****